न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:–23 / 2023 तारीख रजू:–27.09.2023

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2023 / 95

पीठासीनअधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. सूरजमल पुत्र लक्ष्मीनारायण अहीर निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर। (फौत)
   - 1/1. सुरेन्द्र पुत्र सूरजमल यादव
   - 1/2. मनोज पुत्र सूरजमल यादव
   - 1/3. आशा पुत्री सूरजमल यादव
   - 1/4. निशा पुत्री सूरजमल यादव
   - 1/5. माया देवी पत्नि सूरजमल यादव निवासीयान ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर हाल निवासीयान गणेश नगर बी, मानटाउन, सवाई माधोपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चौथ का बरवाड़ा

–अप्रार्थी

उपस्थित–

वकील प्रार्थी:–श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी :– पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक:– 15.10.2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 48 आर0टी0 एक्ट

–: निर्णय :–

1. प्रकरण में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि

- ❖ प्रार्थीगण राजस्व ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा का मूल निवासी होने के साथ–साथ खातेदार काश्तकार पेशा व्यक्ति है।

- ❖ प्रार्थी के नाम से राजस्व ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा के खाता संख्या 1064 में अंकित कृषि भूमि खसरा नं० 1135 रकबा 0.04 है० किस्म गैर मुमकिन चाह, ख०नं० 1137 / 5263 रकबा [illegible] है० किस्म [illegible] अव्वल, ख०नं० 1139 रकबा 1.35 है० किस्म बारानी दोयम, ख०नं० 1139 / 5264 रकबा 0.13 है० किस्म तालाबी अव्वल, ख0न0 1140 रकबा 0.13 है० किस्म गैर मुमकिन पाल, ख0न0 1143 रकबा 0.55 है० किस्म बारानी अव्वल, ख०न० 1144 रकबा 0.38 है० किस्म बंजड, ख०न० 1189 / 5479 रकबा 0.10 है० किस्म बारानी दोयम, ख0न0 1201 रकबा 0.02 है० किस्म तालाबी अव्वल, ख०न०

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.10.31 14:36:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

1202 रकबा 0.51 है0 किस्म तालाबी अव्वल, ख0नं0 1260 रकबा 0.16 है० किस्म तालाबी अव्वल कुल किता 12 कुल रकबा 3.65 है० राजस्व जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम से खातेदारी में दर्ज है।

❖ प्रार्थना पत्र के साथ में हाल ट्रेसशीटकी नजरी फोटो प्रति प्रस्तुत कि जा रही है, जिसमें हरे रंग से दर्शित खातेदारी की भूमि पर भौतिक कब्जा काश्त है, एवं लाल रंग से दर्शित खातेदारी की भूमि पर प्रार्थी का भौतिक कब्जा नही है। पीले रंग से दर्शित कृषि भूमि वर्तमान में सिवायचक है, जिसको प्रार्थी विनिमय के आधार पर खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है।

❖ प्रार्थी के नाम से खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि जिस पर प्रार्थी का भौतिक कब्जा काश्त नही है। प्रार्थी सिवायचक रकबे के समान कृषि भूमि विनिमय के आधार पर खातेदारी के बजाय सिवायचक में दर्ज करवाना चाहता है, उसका विवरण इस प्रकार से हैं :– खसरा नं0 1139 रकबा 1.35 है0 किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 1139/5264 रकबा 0.13 है० किस्म तालाबी एक खसरा नं0 1140 रकबा 0.13 है० किस्म गै०मु०पाल, ख0नं0 1140/5262 रकबा 0.15 है० किस्म गै०मु०पाल, ख०न० 1189 / 5479 रकबा 0.10 है० किस्म बारानी 2, ख0न0 1143 रकबा 0.55 हे0 किस्म बारानी अव्वल, ख०न० 1201 रकबा 0.02 है० किस्म तालाबी अव्वल, ख०न० 1202 रकबा 0.51 है0 किस्म तालाबी अव्वल, ख0न0 1260 रकबा 0.16 है० किस्म तालाब अव्वल कुल किता 9 कुल रकबा 3. 10 है० जमाबन्दी में दर्ज है लेकिन प्रार्थी का कभी भी भौतिक कब्जा नही रहा।

❖ प्रार्थी का हाल खसरा नं0 1137 रकबा 2.94 है0 में से 2.70 है०, ख०न० 1138 रकबा 0.40 है० कुल किता 2 कुल रकबा 3.10 है० किस्म सिवायचक पर भौतिक कब्जा चला आ रहा है प्रार्थी के भौतिक कब्जे की ताईद खसरा परिवर्तनशील (पी–14) की सन् 2009 से लेकर आज तक की पेश की गई है, जिनसे हो रही है।

❖ प्रार्थी खातेदारी की भूमि का विनिमय (एक्सचेन्ज) करवाना चाहता है एवं खातेदारी की भूमि के समान रकबा सिवायचक भूमि का [illegible] खातेदारी की भूमि एवं सिवायचक भूमि राजस्व ग्राम हल्का ईसरदा–ए [illegible] चौथ का बरवाडा में स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.10.31 14:56:02 IST
Reason: SelfAttested

❖ खातेदारी की कृषि भूमि के समान रकबे की कृषि भूमि किस्म सिवायचक का विनिमय के आधार पर एक्सचेन्ज किये जाने में किसी तरह की कानूनी बाधा भी नही है, क्योंकि विनिमय से सम्बन्धित कृषि भूमि एक ही राजस्व ग्राम व हल्के में

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

स्थित है, एवं सरकार के सिवायचक खाते में दर्ज रकबे में किसी तरह की कमी भी नहीं होगी। प्रार्थी सिवायचक भूमि के समान रकबे की भूमि खातेदारी के बजाय विनिमय (एक्सचेन्ज) के आधार पर सिवायचक दर्ज करवाना चाहता है।

❖ प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के समान सिवायचक रकबे का विनिमय किया जाता है तो प्रार्थी कब्जे की भूमि का पूर्ण रूप से विकास भी कर सकेगा।

❖ प्रार्थी के कब्जे की भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हे।

❖ उपरोक्त विवाद की जानकारी दिनांक 25.08.2021 को पटवारी हल्का के पास जमाबन्दी में दर्ज खसरा नम्बरों की ट्रेसशीट से मिलान करने पर सर्व प्रथम जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश किया है।

❖ तहसीलदार चौथ का बरवाडा लैण्ड होल्डर होने के साथ–साथ विनिमय (एक्सचेन्ज) से सम्बन्धित मौके की एवं राजस्व अभिलेख से सम्बन्धित तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट भी तलब किये जाने के कारण एक मात्र आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

❖ अतः श्रीमान् जी की सेवामें प्रार्थना पत्र विनिमय (एक्सचेन्ज) बाबत् अन्तर्गत धारा 48 आर०टी० एक्ट मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार चौथ का बरवाडा से राजस्व ग्राम ईसरदा–ए में स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 1064 में दर्ज खसरा नं0 1139 रकबा 1.35 है०, ख०न० 1140 रकबा 0.13 है०, ख0नं0 1143 रकबा 0.55 है०, ख०न० 1139/5264 रकबा 0.13 है०, ख0नं0 1140/5262 रकबा 0.15 है०, ख०न० 1189/5479 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 1201 रकबा 0. 02 है०, ख0नं0 1202 रकबा 0.51 है0, ख०नं० 1260 रकबा 0.16 है० कुल किता 9 कुल रकबा 3.10 है० एवम् सिवायचक खसरा रकवा 2.94 है. में से नं0 1137 रकबा 2.94 है0 में से 2.70 है०, ख0न0 1138 रकबा 0.40 है० कुल किता 2 कुल रकबा 3.10 है० की राजस्व अभिलेख के अनुसार मौके की तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विनिमय प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम ईसरदा–ए के खाता संख्या 1064 में अंकित कृषि भूमि खसरा नं० 1139, 1140, 1143, 1139/5264, 1140/5262, 1189/5479, 1201, 1202, 1260 कुल किता 9 कुल रकबा 3.10 हेक्टेयर को खातेदारी के बजाय सिवायचक में दर्ज की जाकर खाता संख्या रकवा 2.94 है. में से 1 में अंकित कृषि भूमि खसरा नं0 1137 रकबा 2.94 है0 में से 2.70 है०, ख०नं० 1138 रकबा 0.40 है० कुल किता 2 कुल रकबा 3.10 है० को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.10.31 14:56:02 IST
Reason: SelfAttested

1087
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

सिवायचक को प्रार्थी के नाम से विनिमय के आधार पर मुताविक कब्जा व हाल ट्रेसशीट में अंकित विवरण के अनुसार खातेदारी में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा को आदेशित किया जावें आपकी कृपा होगी।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थी जारी किये गये।

3. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा (अप्रार्थी) ने अपनी रिपोर्ट इस प्रकार पेश कि है कि–

❖ प्रार्थी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा का मूल निवासी खातेदार है। प्रार्था की ग्राम ईसरदा में मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2073–70 के खाता संख्या 1064 में ख.न. 1135 रकबा 0.04 गैर.मु. चाह, ख.न. 1137/5263 रकबा 0.13 है0 किस्म तालाबी, ख.न. 1139 रकबा 1.35 है0 बारानी 2, ख.न. 1139/5264 रकबा 0.13 है0 तालाबी 1, ख.न. 1140 रकबा 0.13 है0 गै.मु. पाल, ख.न. 1140/5262 रकबा 0.15 है0 गै.मु. पाल, ख.न. 1143 रकबा 0.55 है0 बारानी 1, ख.न. 1144 रकबा 0.38 है0 बंजड, ख.न. 1189/5479 रकबा 0. 10 बारानी, ख.न. 1201 रकबा 0.51 है0 तालाबी 1, ख.न. 1202 रकबा 0.51 है० तालाबी 1, ख.न. 1260 रकबा 0.15 है० तालाबी 1, कुल किता 12 कुल 3.65 है0 के रुप में खातेदारी भूमि दर्ज है

❖ मुताबिक रजस्व रिकार्ड व नक्शा के मौके पर वादी का खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.04 है0 गै.मु. चाह, ख.न. 1137/5263 रकबा 0.13 है०, ख.न. 1144 रकबा 0.38 है०, तथा 1137 रकबा 2.94 हैं0 में से 2.70 है0, ख.न. 1138 रकबा 0.40 किता 5 कुल रकबा 3.65 है० पर कब्जा काश्त है। उक्त भूमि में ख.न 1137 रकबा 2.70 व ख.न. 1138 रकबा 0.40 किता 2 रकबा 3.10 है० मुताबिक रिकार्ड सिवायचक दर्ज है और शेष खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.04, ख.न. 1137/5263 रकबा 0.13 है0, ख.न. 1144 रकबा 0.38 है0 वादी के खातेदारी, नम्बर है। वादी के उपरोक्त खातेदारी नम्बर के अतिरिक्त खातेदारी ख.न. 1139 रकबा 1.39 है0, 1139/5264 रकबा 0.13 है०, ख.न. 1140/5262 रकबा 0.15 है०, ख.न. 1143 रकबा 0.55 है०, ख.न. 1189/5479 रकबा 0.10 है०, ख.न. 1201 रकबा 0.02 है, ख.न. 1202 रकबा 0.51 है०, ख.[illegible] 0. 16 है०, कुल किता 9 कुल रकबा 3.10 है० [illegible] व्यक्तियों का कब्जे काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.10.31 14:56:02 IST
Reason: SelfAttested

❖ वाद पत्र मे विनियम हेतु उल्लेखित खातेदारी भूमि व सिवायचक का रकबा समान है और राजस्व ग्राम ईसरदा प०म० ईसरदा ए में ही स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ बिन्दू संख्या 8 सही है कब्जे काश्त भूमि का विकास कर सकेगा व सिवायचक भूमि पर कब्जा होंने से सरकार द्वारा की जा रही कानूनी कार्यवाही से बच सकेगा।

❖ मुताबिक मौका रिपोर्ट खसरा नंबर 1139 रकबा 1.35 है0, खसरा नंबर 1139/1254 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 1140 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 1140/5262 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 1143 रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 1189/5479 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 1201 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 1202 रकबा 0.51 है0, खसरा नंबर 1260 रकबा 0.16 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 3.10 है0 भूमि, जो कि वादी की खातेदारी है और दीगर व्यक्तियों की कब्जे काश्त है, को सिवायचक किया जाकर खातेदार (वादी) के कब्जे काश्त खसरा नंबर 1137 रकबा 2.70 है0, खसरा नंबर 1138 रकबा 0.40 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 3.10 है0 सिवायचक भूमि को वादी के नाम विनिमय के आधार पर नियमानुसार शुद्ध किया जाना उचित होगा।

4. प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में तहसीलदार, रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का दोहरान किया।

5. मैंने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6. ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा की स्थायी जमाबंदी दिनांक 22.09.2021 के अनुसार प्रार्थीगण के पिता सूरजमल खसरा नंबर 1135, 1137/5263, 1139, 1139/5264, 1140, 1140/5262, 1143, 1144, 1189/5179, 1201, 1202 व 1260 कुल किता 12 कुल रकबा 3.65 है0 का खातेदार था, जिसकी मृत्यु पश्चात् उनके वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है। सन् 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, एवं संवत् 2076 फसल रबी की पी.–14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का खसरा नंबर 1137 एवं 1138 पर भौतिक कब्जा है, जिस कारण प्रार्थी को उक्त खसरा नंबरान पर अतिक्रमी मानते हुए भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही [illegible] जाती रही है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार [illegible] है कि यदि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में चाहे अनुसार भूमि का विनिमय कर दिया जावे तो प्रार्थी कब्जे काश्त की भूमि का विकास कर सकेगा एवं राजकीय भूमि पर कब्जा होने से सरकार द्वारा की जा रही कानूनी कार्यवाही से बच सकेगा। विनिमय की जाने वाली समस्त भूमि एक ही ग्राम में स्थित है, जिसका रकबा भी समान होने के कारण सिवायचक भूमि के रकबे में किसी प्रकार की कमी नहीं हो रही है, जिससे राज्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.10.31 14:36:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

सरकार को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। इस प्रकार तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने प्रार्थना पत्र में चाहे अनुसार भूमि विनिमय किये जाने की अभिशंषा की है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की अभिशंषा के आधार पर मैं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वे ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा के खसरा नंबर 1139, 1140, 1143, 1139/5264, 1140/5262, 1189/5479, 1201, 1202 एवं 1260 कुल किता 9 कुल रकबा 3.10 है0 को सिवायक दर्ज रिकॉर्ड करें एवं खसरा नंबर 1137 रकबा 2.94 है0 में से 2.70 है0 एवं खसरा नंबर 1138 रकबा 0.40 है0 को प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.10.31 14:36:02 IST
Reason: SelfAttested